

प्रेषक:-

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर ।

मुज०

दिनांक:-

विषय-वैवाहिक वाद संख्या-453/17 में आवेदक विपक्षी एवं एक बच्चा का
डी०एन०ए० जाँच हेतु खर्च के संबंध में ।

प्रसंग: आपके पत्रांक - 3230 दिनांक - 10.08.2019

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक विभागाध्यक्ष, एफ०एम०टी० विभाग, श्री कृष्ण
चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के द्वारा यह सूचित किया गया है कि इस
संस्थान/विभाग में डी०एन०ए० जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं है । साथ ही यह भी
सूचित किया गया है कि इस जाँच की सुविधा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना में
उपलब्ध है ।

यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्राचार्य


श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:- 1703/19

दिनांक:- 21-3/19

प्रतिलिपि:-

1. माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ
प्रेषित ।
2. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. विभागाध्यक्ष, एफ०एम०टी० विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर
को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. कॉलेज वेबसाईट ।


प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

1/11/19